

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- राष्ट्रिय/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-6-2019

:-कार्यालय स्थाप:-

अतिरिक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु क्विलोम कालीक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विलान प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अर्थात् नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं का सम्बद्धता विलान/पत्राचार/प्रवेश सफा इन्डि/कपी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुरूप में सम्बद्धता समिति की बैठक से मं-17 में क्विलोमा इन फार्मली पारदखन संबंधित करने वाली नई संस्था का प्रवचन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ऐसी नवस्थापित क्विलोमा इन फार्मली संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु एंजॉईन्टी/सी/टी/ई/ई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पीपीसी/आई/ई द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत एंजॉईन्टी/सी/टी/ई/ई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पीपीसी/आई/ई अनुमोदन पर ज़रूर हो जाने के उपरोक्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारुणिसलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निश्चित दफिने एवं विधन-विधेख द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित हर्ती के अधीन पारदखन एवं उसमें अर्पित प्रवेश सफा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पारदखन का वर्ष	एंजॉईन्टी/सी/टी/ई/ई द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सफा	वर्षिक शुल्क तथा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश सफा
1	एन. एच.एस.के. हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर प्रदेश	द्वितीय एवं तृतीय	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र एंजॉईन्टी/सी/टी/ई/ई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद दफत 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनकी 1982 तथा अन्य विनियमन नियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैय करनी एवं प्रवेश सफा हेतु 60 30/100.00/- प्रतिवर्ष की शर्तों पर पारदखन हेतु 46,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पारदखन के शर्तों पर पारदखन के अधिनियमों हेतु 60- 22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश सफा/कक्षा में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कक्षा/आवासीय की शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर वातानुसार निर्णय किये जाने वाले हानन-वदेत प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शेष विवरण

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1671

लखनऊ दिनांक: 16-8-2020

-कार्यालय स्थाप-:

उच्च शिक्षण मन्त्री की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय कल्याणल जॉन इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संदेश सं. 2020-21 हेतु विज्ञापन संदेश संख्याओं को अनुसूचन प्रदान किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को संस्था प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ को संदेशों में परिषद कार्यालय में डीक संपन्न हुई। डीक में संशोधित प्रस्ताव सं. 2020-21 हेतु संशोधित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संख्याओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शन/प्रवेश कक्षा बुद्धि उचित अन्य शर्तों पर विचार करने हेतु सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक सं. 5 ने विज्ञापन इन कार्यालय पर्यटन संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का उत्तरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित विज्ञापन इन कार्यालय पर्यटन संशोधित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें उपाय अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समूह अर्थात् पारदर्शन/प्रवेश कक्षा के साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को राष्ट्रीय सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पारदर्शन एवं प्रवेश उचित प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पारदर्शन पर नाम	पीसीआईओ द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश कक्षा	पीसीआईओ /परिषद द्वारा सं. 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश कक्षा
1	2020	20/ एन.एन.एन. कक्षा संशोधित जॉन कार्नेरी, लखनऊ।	विज्ञापन इन कार्यालय	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईटीआई(ए) /पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 2020 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विभिन्न-वर्षों 2020, संशोधित विभिन्न-वर्षों-2020 तथा अन्य निर्धारित निर्णय पूर्व शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सुचारु चालित समिति द्वारा निर्धारित सूचक तीन वर्षों के लिए पारदर्शन हेतु रु. 22,120,00/- प्रतिसं. को तीन वर्षों के पारदर्शन हेतु रु. 44,240,00/- प्रतिसं. एवं एक तथा दो वर्षों के पारदर्शन (दो वर्षों के अंतर्गत पारदर्शन के अंतर्गत) हेतु रु. 22,120,00/- प्रतिसं. सूचक की प्रत्येक प्रारंभ/प्रारंभ के प्रत्येक किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रारंभ/प्रारंभ के पूर्णतः के समय में लक्ष-समय का हासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले जलवायु प्रणाली होने और पारदर्शन अंतर्गत शिक्षा

कार्यतप

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राविषपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक: दिनांक: 08/08/2021

:-कार्यतप शीघ्र:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यसौ कारुणित ऑन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा पौकित सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ/प्र) सरकार से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यतप में सम्बद्धता समिति की बैठक संघत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार- पाठ्यक्रम, प्रवेश श्रमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तिथि गण निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ/प्र) सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश श्रमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2069-DR.H R BACHHAN COLLEGE OF PHARMACY, UNNAO

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एड-आई/पीसीटी/ईई/पीसीटी/आई/पीसीटी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश श्रमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश श्रमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एड-आई/पीसीटी/ईई/पीसीटी/आई/पीसीटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, संशोधित विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन वार्षिक श्रमता पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20100.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक क्रम में पाठ्यक्रम हेतु रु०- 40000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र-छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं से शुल्क के स्वयंसेवक पर राशन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तुनिदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ/प्र) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना। विनियमवारी 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की